# यालय अति0 जिला कलक्टर एवं अति जिला मजिस्ट्रेट दूदू

**फर्द अहकाम**

गोमाराम बनाम सरकार जरिये तहसीलदार मौजमाबाद

ा संख्या 21 /2023

| नांक आज्ञा ा कार्यवाही | आज्ञा विस्तृत रूप से | विशेष विवरण |
|---|---|---|
| 21/2/24 | पत्रावली पेश हुई। पक्षकारान वकील उप0। अप्रार्थी की तरफ से पैरोकार सरकार नायब तहसीलदार बीचून उप0। अप्रार्थी ने जवाब प्रस्तुत नहीं कर सीधे ही बहस करने का निवेदन किया। मूल रिकार्ड संलग्न पत्रावली है। अपील धारा 75 LR Act पर वकील उभयपक्ष की बहस सुनी गई। वकील अपीलार्थी ने अपील के तथ्यो को दोहराते हुए निवेदन किया कि अपीलाधीन नामा0 सं. 253 दिनांक 06/2/20 तहसीलदार मौजमाबाद द्वारा रजि0 दस्तावेज समर्पण पत्र 30-12-2019 विधि के विरुद्ध एवं प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्त के विपरीत खोला गया है। रजिस्टर्ड समर्पणनामा में 0.0420 हे0 भूमि राजहित में गै0मु0 रास्ते सिवायचक हेतु समर्पित की गई है। लेकिन तहसीलदार मौजमाबाद ने गलत इन्द्राज कर बारानी-I दर्ज कर दिया है। प्रार्थना पत्र धारा-5 अपील के साथ प्रस्तुत है विलम्ब को कण्डोन फरमाया जाकर अपील मियाद मे शुमार की जावे। नामा0 सं. 253 दिनांक 06/2/20 को निरस्त फरमाया जाकर समर्पण पत्र दिनांक 30-12-19 की पालना में गै0मु0 रास्ता सिवायचक दर्ज करवाने के आदेश फरमाया जावे।<br>अप्रार्थी पैरोकार सरकार नायब तहसीलदार बीचून ने निवेदन किया कि अपील वर्णित भूमि गै0मु0 रास्ता दर्ज करने पर राजहित प्रभावित नहीं है। अपील स्वीकार करने पर कोई आपति दर्ज नहीं होगा जाहिर किया।<br>हमने उभयपक्ष की बहस पर मनन किया एवं प्रस्तुत अपील व मूल रिकार्ड का अवलोकन किया। अवलोकन करने पर पाया कि अपीलार्थी द्वारा समर्पण पत्र से उसकी खातेदारी की कृषि भूमि ख0न0 24 रकबा 0.8500 हे0 मे से 0.0420 हे0 भूमि राजहित में गै0मु0 रास्ता सिवायचक हेतु समर्पण की गई है। लेकिन तहसीलदार | गै.मु. रास्ता दर्ज करने पर राजहित प्रभावित नहीं है। (हस्ताक्षर) 21/2/24 उपतहसीलदार बिचून |

अतिरिक्त जिला कलक्टर

# न्यायालय अति0 जिला कलक्टर एवं अति जिला मजिस्ट्रेट

फर्द अहकाम

जोगाराम बनाम सरकार जरिये तहसीलदार मौजगढ़

मुकदमा संख्या 21 /2023

| क्रम संख्या | दिनांक आज्ञा या कार्यवाही | आज्ञा विस्तृत रूप से | वि… |
|---|---|---|---|
| | | मौजगढ़ ने नामा0 सं. 253 दिनांक 06/2/20 में गै0मु0 रास्ता बारानी I दर्ज कर दिया है जो मुताबिक समर्पणनामा नियमानुसार उचित नहीं है। फरीक सरकार ने भी इस तथ्य को स्वीकार किया है। फरीकैन ने राजस्व प्रभावित नहीं होना बताया है। उपरोक्त तथ्यो के विवेचन से अपील-अपीलार्थी स्वीकार किया जाना न्यायोचित समझते है।<br>अतः अपील अन्तर्गत धारा 75 LR Act मय प्रार्थनापत्र दफा-5 मियाद अधिनियम स्वीकार की जाकर अधिनस्थ न्यायालय तहसीलदार मौजगढ़ द्वारा पारित निर्णय नामा0 सं0 253 दिनांक 06/2/2020 निरस्त किया जाकर समर्पण पत्र क्रमांक/LR/2020/280 दिनांक 24-1-20 अनुसार गै0मु0 रास्ता सिवायचक दर्ज करने हेतु पुनः निर्णय पारित करें। अधिनस्थ न्यायालय का मूल रिकार्ड लौटाया जावे। निर्णय प्रति तहसीलदार मौजगढ़ को प्रेषित हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर दर्ज नम्बर से कम हो।<br>आदेश आज दिनांक 21/2/24 को खुले इजलास सुनाया गया।<br>[signature]<br>अतिरिक्त जिला कलक्टर<br>चूरू | |

Scanned with OKEN Scanner